हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–13/2025–लेज शिमला–2 *13 अगस्त, 2025*

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को दिंनाक 01–08–2025 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2025 के अध्यादेश संख्यांक 3 के रुप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल
प्रधान सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार

अध्यादेश यहां प्रकाशित किया जाए ।

2025 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **अध्यादेश।**

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः–

संक्षिप्त नाम 1 इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका(संशोधन) अध्यादेश, 2025 है।

धारा 14 का संशोधन

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 14 की उप–धारा (2) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ के पश्चात् नगरपालिका का प्रथम निर्वाचन, उसके नगरपालिका के रूप में अधिसूचित किए जाने के दो वर्ष की अवधि के भीतर करवाया जा सकेगा।''।

(शिव प्रताप शुक्ल)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(शरद कुमार लगवाल)
प्रधान सचिव (विधि)
शिमलाः
तारीखः 13 अगस्त, 2025

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. ORDINANCE NO 3 OF 2025

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title.

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2025.

Amendment of section 14.

2. In section 14 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, (Act No. 13 of 1994), in sub-section (2), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that the first election to a municipality after the commencement of the Himachal Pradesh Municipal (Second Amendment) Act, 2003, may be held within a period of two years of its being notified as a municipality.".

(SHIV PRATAP SHUKLA)
Governor, Himachal Pradesh

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Principal Secretary(Law)

SHIMLA:
DATED : 13TH AUGUST, 2025